न्यायमूर्ति जं. वं. गुप्ता के समक्ष

वेद प्रकाश गर्ग, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

सीमा, — *उत्तरदाता*

सिविल पुनरीक्षण सं. 1315 *सन्* 1986

दिसंबर 12, 1986

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) — धारा 9, 13, 21-ए (3) — सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) — धारा 23(3) — वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पत्नी की याचिका एक राज्य के वैवाहिक न्यायालय में लंबित है — पति ने बाद में दूसरे राज्य की अदालत में विवाह-विच्छेद की याचिका दायर की — पत्नी ने पति द्वारा दायर विवाह-विच्छेद की कार्यवाही को स्थानांतरित करवाया — पत्नी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण चरण पर प्रार्थना की विवाह-विच्छेद की कार्यवाही को उस अदालत में स्थानांतरित किया जाए, जहां उसकी याचिका लंबित थी, इस आधार पर मांग की गई कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाए — कार्यवाही स्थानांतरित करने का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार — विवाह-विच्छेद याचिका — क्या संहिता की धारा 23(3) के तहत स्थानांतरित किया जा सकता है — अधिनियम की धारा 21-ए — क्या संपूर्ण — उच्च न्यायालय — यदि अधिनियम के तहत कार्यवाही को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक न्यायालय से उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बाहर एक न्यायालय में स्थानांतरित करने में सक्षम है ।

अभिनिर्णित, कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 23 की उप-धारा (3) उस स्थिति का प्रावधान करती है, जहां दो न्यायालयों के पास याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है और वह विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं। ऐसी स्थिति में, स्थानांतरण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में उस स्थानीय सीमा के भीतर किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह न्यायालय स्थित है जिसमें याचिका दायर की गई थी। यदि एक बार यह माना जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21-ए संपूर्ण नहीं है, तो धारा 21-ए की उप-धारा (3) के तहत कार्यवाही पर संहिता लागू हित है। तब, यह माना जाए कि उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत अधिनियम की धारा 13 के तहत न्यायालय में लंबित कार्यवाही को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है।

(पैरा 6)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री एम.एस. नागरा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय) जीन्द के न्यायालय का आदेश, दिनांक 3 फरवरी 1986, के पुनरीक्षण हेतु, रोक लगाने जब तक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के समक्ष दायर की गई याचिका का निर्णय हो और उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका के फैसले के बाद किसी भी पक्ष के अनुरोध पर

बहाल किया जाएगा।

राजेश चौधरी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए ।

पी. एस. सैनी, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति जं. वी. गुप्ता:

(1) यह पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय), जींद के 3 फरवरी, 1986 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955; (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता पति वेद प्रकाश गर्ग ने अपनी पत्नी-प्रतिवादी श्रीमती सीमा के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद इसे संहिता कहा जाएगा) की धारा 10 के तहत रोक लगा दी गई है।

(2) माना जाता है कि उक्त याचिकाकर्ता के दाखिल होने से पहले ही प्रतिवादी पत्नी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर कर दी है, जो दिसंबर, 1984 से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली की न्यायलय में लंबित है। याचिकाकर्ता पति ने 5 अगस्त, 1985 को अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका दायर की और यह हरियाणा में जिंद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय) की न्यायलय में लंबित है, जब उक्त आवेदन की सूचना उन्हें दी गई, उन्होंने दिल्ली की न्यायलय में उनके द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए संहिता की धारा 10 के तहत एक आवेदन दिया। उक्त आवेदन का विरोध पति द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर किया गया था कि दोनों याचिकाओं में मांगी गई राहत अलग-अलग थी और इस तरह अधिनियम की धारा 9 के तहत पहले से दायर याचिका की लंबितता अधिनियम की धारा 13 याचिका के रास्ते में नहीं आएगी। हालाँकि, विद्वक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि यदि धारा 13 के तहत याचिका को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है और यदि अंततः अनुमति दी जाती है, तो पत्नी द्वारा पहले न्यायलय में अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर की गई याचिका क्या वह दिल्ली को निरर्थक बना देगा क्योंकि विवाह-विच्छेद की डिक्री मंजूर होने के बाद दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं होगा। नतीजतन, संहिता की धारा 10 के तहत आवेदन की अनुमति दी गई और दिल्ली की न्यायलय में लंबित अधिनियम की धारा 5 के तहत पत्नी द्वारा दायर याचिका का निर्णय होने तक, अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका पर रोक लगा दी गई।

(3) याचिकाकर्ता के अनुसार, अधिनियम की धारा 21-ए के प्रावधानों के मद्देनजर धारा 13 के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जो कुछ मामलों में याचिकाओं के

हस्तांतरण का प्रावधान करती है। याचिकाकर्ता के विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, यहां तक कि धारा 13 के तहत याचिका को भी अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत दिल्ली की न्यायलय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, संहिता की धारा 10 के तहत वहां की कार्यवाही पर रोक लगाने का सवाल उत्पन्न नहीं हुआ है। विवाद के समर्थन में, विद्वक अधिवक्ता ने *गुरमेल कौर बनाम प्रीतम सिंह*, (1) पर निर्भरता ली है। दूसरी ओर, प्रतिवादी पत्नी के विद्वक अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश न्यायसंगत और उचित था और इसलिए, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था। किसी भी मामले में, विद्वक अधिवक्ता ने तर्क दिया, यह एक उपयुक्त मामला था जिसे दिल्ली की न्यायलय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां पत्नी द्वारा पहले दायर की गई धारा 9 के तहत याचिका लंबित थी ताकि दोनों याचिकाओं पर एक साथ एक न्यायलय द्वारा निर्णय लिया जा सके। विद्वक अधिवक्ता के अनुसार, इस न्यायालय के पास संहिता की धारा 23 के तहत हरियाणा के जींद न्यायालय में लंबित कार्यवाही को दिल्ली के न्यायालय में स्थानांतरित करने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं। विद्वक अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 21-ए संपूर्ण नहीं है और इसलिए, यह बाद की याचिका में कार्यवाही पर रोक लगाने या उसे उस न्यायालय में स्थानांतरित करने से नहीं रोकता है जहां पिछली याचिका दायर की गई थी। विवाद के समर्थन में, विद्वक अधिवक्ता ने *जी. विजया-यलक्ष्मी जी. रामचन्द्र शेखर शास्त्री* (2), *स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स सको इंडस्ट्रीज, फ़रीदाबाद (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली* (3), और *मंजुलता बनाम डॉ. एमएल नरसिम्हन* (4) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता ली है।

(4) पक्षों के विद्वक अधिवक्ता को सुनने और बार में उद्धृत मामले के कानून को पढ़ने के बाद, मेरी सुविचारित राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां अधिनियम की धारा 13 के तहत पति द्वारा दायर याचिका को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। दिल्ली की न्यायलय में जहां पत्नी द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर याचिका पहले से ही लंबित है। *जी. विजया-लक्ष्मी* के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि जहां तक अधिनियम की धारा 21ए का संबंध है, इसका सीमांत नोट यह स्पष्ट करता है कि यह याचिकाओं को स्थानांतरित करने और उनके संयुक्त को निर्देशित करने की शक्ति से संबंधित है। या कुछ मामलों में समेकित परीक्षण और संपूर्ण नहीं है। उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायलय ने संहिता की धारा 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके पति द्वारा शुरू की गई विवाह-विच्छेद की कार्यवाही को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया।

(1) 1979 H.L.R. 86.
(2) A.I.R. 1981 S.C. 1143.
(3) A.I.R. 1976 Pb. & Hry. 321.
(4) 1985(2) H.L.R. 10.

(5) इस याचिका में संक्षिप्त प्रश्न है; क्या यह न्यायालय इस न्यायालय की कार्यवाही को जींद के न्यायालय से दिल्ली के न्यायालय में स्थानांतरित करने में सक्षम है जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है?

(6) यह मामला रेस इंटीग्रा का नहीं है। *साको उद्योग मामले* में (सुप्रा), इस न्यायालय ने संहिता की धारा 151 के साथ पठित धारा 23(3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़ न्यायालय में लंबित मामले को अलीपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जहां याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमा पहले से ही लंबित था। इसी तरह, *मंजुलता* के मामले (सुप्रा) में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायलय के *जी. विजयलक्ष्मी* के मामले (सुप्रा) के फैसले, और इस न्यायालय के *साको इंडस्ट्रीज* के मामले (सुप्रा) के निर्णय पर निर्भरता बनाते हुए; संहिता की धारा 23(3) के तहत पति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को सिटी सिविल जज, बैंगलोर की न्यायलय से मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल न्यायलय, हैदराबाद की न्यायलय में स्थानांतरित कर दिया गया। संहिता की धारा 23 इस प्रकार है:

> "किस न्यायालय में आवेदन दिए जा सकते हैं:--(1) जहां क्षेत्राधिकार वाले कई न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं, धारा 22 के तहत आवेदन अपीलीय न्यायालय में किया जाएगा।
>
> (2) जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपीलीय न्यायालयों के लेकिन एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां आवेदन उक्त उच्च न्यायालय में किया जाएगा।
>
> (3) जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, आवेदन उस उच्च न्यायालय को किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें मुकदमा लाया गया है।"

इस प्रकार, उप-धारा (3) उन स्थितियों के लिए प्रावधान करती है जहां दो न्यायालयों के पास याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है और वे विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं। ऐसी स्थिति में, स्थानांतरण के लिए आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह न्यायालय स्थित है जिसमें याचिका लाई गई थी। यदि एक बार यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 21-ए संपूर्ण नहीं है और संहिता को धारा 21ए की उप-धारा (3) के तहत अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू किया जाता है , तो इस न्यायालय के पास कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति है यह मामला जींद की न्यायलय से लेकर दिल्ली की न्यायलय तक लंबित है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि दोनों याचिकाओं, अर्थात्, जो पहले पत्नी द्वारा दायर की गई थी और दिल्ली की न्यायलय में लंबित थी और जो पति द्वारा दायर की गई थी और जिंद की न्यायलय में लंबित थी, उस पर न्याय के हित में दिल्ली की न्यायलय में एक साथ विचार किया जाना चाहिए।

(7) उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, आक्षेपित आदेश के खिलाफ इस पुनरीक्षण याचिका का निपटारा किया जाता है क्योंकि कार्यवाही पर रोक लगाने वाले आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका दायर की गई है और जिंद की न्यायलय में लंबित मामले को दिल्ली की न्यायलय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई धारा 9 के तहत कार्यवाही लंबित है। दिल्ली की न्यायलय एक साथ दोनों याचिकाओं की सुनवाई आगे बढ़ा सकती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा